रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032025-261863
CG-DL-E-22032025-261863

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2025/फाल्गुन 30, 1946
No. 217]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2025/PHALGUNA 30, 1946

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025

फा. सं. 18–18/8067–आईएनसी:–समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :–

जबकि, **राय स्कूल ऑफ नर्सिंग, इंद्र पुरी कॉलोनी, पोस्ट हीरा नगर, झाँसी रोड, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़–472001 (मध्य प्रदेश)** मध्य प्रदेश राज्य सरकार तथा मध्य प्रदेश उपचर्या पंजीकरण परिषद् द्वारा जीएनएम तथा बी. एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), मध्य प्रदेश राज्य सरकार, कमरा संख्या 241, मंत्रालय (वल्लभ भवन) एरेरा हिल्स, भोपाल–462004, मध्य प्रदेश को संबोधित नोटिस संख्या 18–18/8067–आईएनसी (57721) दिनांक 09.05.2024 को जारी किया गया था। दिनांक 09.05.2024 को जारी नोटिस की एक प्रति **राय स्कूल ऑफ नर्सिंग, इंद्र पुरी कॉलोनी, पोस्ट हीरा नगर, झाँसी रोड, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़–472001 (मध्य प्रदेश)** को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, राय स्कूल ऑफ नर्सिंग के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्था यानी **राय स्कूल ऑफ नर्सिंग** ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। दिनांक 15.12.2023 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियां जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं। ये गंभीर कमियां हैं जो यह दर्शाती हैं कि संस्थान **जीएनएम तथा बी.एससी. (नर्सिंग)** पाठ्यक्रम संचालित करने में असमर्थ है।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 26.10.2024 से **राय स्कूल ऑफ नर्सिंग, इंद्र पुरी कॉलोनी, पोस्ट हीरा नगर, झाँसी रोड, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़–472001 (मध्य प्रदेश) से जीएनएम तथा बी.एससी. (नर्सिंग)** मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति मध्य प्रदेश राज्य सरकार के आदेशों के अध्यधीन केवल मध्य प्रदेश राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./1079/2024-25]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 10th March, 2025

F. No. 18-18/8067-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Rai School of Nursing** situated at **Indra Puri Colony, Post – Heera Nagar, Jhasi Road, Tikamgarh, Distt. Tikamgarh 472001 Madhya Pradesh** is recognized by State Government of Madhya Pradesh and Madhya Pradesh Nurses Registration Council to conduct **GNM and B.Sc(N**) Course.

Whereas, a notice no. 18-18/8067-INC (57721) dated **09/05/2024** for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to the principal secretary (Health & FW), Government of Madhya Pradesh Room No. 241, Mantralaya (VallabhBhawan) Area Hills, Bhopal – 462004, Madhya Pradesh was issued. Copy of the notice dated 09/05/2024 was also enclosed to **Rai School of Nursing** situated at **Indra Puri Colony, Post – Heera Nagar, Jhasi Road, Tikamgarh, Distt. Tikamgarh 472001 Madhya Pradesh**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of Rai School of Nursing. Even the institution, **Rai School of Nursing** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 15/12/2023 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute that the institution is unable to run GNM and B.Sc(N) Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3) (b) declares that with effect from 26/10/2024 any person holding a recognized qualification of **GNM and B.Sc(N)** from **Rai School of Nursing situated at Indra Puri Colony, Post – Heera Nagar, Jhasi Road, Tikamgarh, Distt. Tikamgarh 472001 Madhya Pradesh** shall be entitled to be registered only in the State of Madhya Pradesh.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./1079/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA